प्रेस नोट दिनांक 02.09.2020

जनपद सहारनपुर के थाना फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 हज़ार के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, मोके से अवैध असलहा/कारतूस बरामदः-

दिनांक-02.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के दिशा-निर्देश मे चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तो की धरपकड अभियान के दौरान एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/क्षैत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल प्रवेक्षण में व थानाध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में दिनांक 02.09.2020 की रात्रि में समय करीब 20.50 बजे थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/वस्तु व व्यक्ति एवं गस्त के दौराने रसूलपुर पुल देहरादून रोड प्लाई आँवर के पास से अभियुक्त श्रवण उर्फ घोटा पुत्र शंकर निवासी- मौ0 आर्दश कालोनी 23 बटालियन पी.ए.सी. के पीछे थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। **गिरफ्तार अभियुक्त थाना के मु0अ0स0-260/19 धारा 392 भादवि0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर में वांछित अपराधी है। उपरोक्त अपराधी के ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा 15000 रूपये का ईनाम घोषित है।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द थाना फतेहपुर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-श्रवण उर्फ घोटा पुत्र शंकर निवासी- मौ0 आर्दश कालोनी 23 बटालियन पी.ए.सी. के पीछे थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस।

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया कि पिछले साल माह अगस्त 2019 में मै अपने साथियो के साथ कस्बा छुटमलपुर आया था। उस दिन हमने कस्बा छुटमलपुर में एक व्यक्ति की बैक ए.टी.एम. से पैसे निकालते वक्त रैकिंग करके एक मौबाईल फोन व 50,000 रूपये नकद लूटे थे। दोवारा फिर से लूट की घटना को अन्जाम देने के उद्देश्य से कस्बा छुटमलपुर सहारनपुर में करीब एक माह पूर्व हमारे दो साथी पवन उर्फ पोनी व दिलीप उर्फ होलू निवासी गण –मौ0 आर्दश कालोनी 23 बटालियन के पीछे थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद रैकिंग करने आये थे। रैकिंग पूरी करने के बाद हमें बुला लेते। उनसे सम्पर्क नही हो रहा था। इसलिए मै उनकी तलाश में कस्बा छुटमलपुर/सहारनपुर आया था कि पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पकडने के डर से हम लोग मौबाईल फोन नही रखते है। गिरफ्तारअभियुक्त शातिर किस्म का सक्रिय चोर व लूटेरा अपराधी है, जो अपने साथियो के साथ मिलकर अपने आर्थिक व भोतिक लाभ हेतू वाहन चोरी करके एवं अवैध हथियार रखकर लूटपाट करते है। इसने जनपद के अतिरिक्त गैर जनपद व गैर राज्य में चोरी व लूट जैसी संगीन घटना कारित की है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

अपराधिक इतिहास :-

1-मु0अ0स0- 826/94 धारा 395 भादवि0 थाना बरेली कैन्ट जिला बरैली।
2 मु0अ0स0-151/94 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना झझलेट जिला अमरोहा।
3-मु0अ0स0-533/1995 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
4-मु0अ0स0-302/1996 धारा 399/402 भादवि व 25 आयुध अधि0 थाना छत्ररात ग्वालियर (गुजरात)।
5-मु0अ0स0-842/1997 धारा धारा 399/402 भादवि व 25 आयुध अधि0 थाना छत्ररात ग्वालियर (गुजरात)।
6-मु0अ0स0-33/1998 धारा 25 /54/59 आयुध अधि0 थाना योगा पंजाब।
7-मु0अ0स0-448/1998 धारा 20 NDPS.ACT थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
8-मु0अ0स0-163/1999 धारा 379/511 भादवि थाना इस्लामबाद कुरूक्षेत्र (हरियाणा)।
9-मु0अ0स0 -755/2006 धारा 13 जुआ अधि0 थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
10-मु0अ0स0-760/2006 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
11-मु0अ0स0-2335/2006 धारा 325/504/506/442/307/142/148/149 भादवि थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
12-मु0अ0स0-02/2007 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
13-मु0अ0स0-निल/2007 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
14-मु0अ0स0 -1604/2007 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिविल लाईन मुरादाबाद।

15-मु0अ0स0 -272/2011 धारा 392/411/34 भादवि थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
16-मु0अ0स0-382/2016 धारा 363/366 भादवि थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
17-मु0अ0स0-03/2017 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद।
18-मु0अ0स0-01/123/2019 धारा 379(ए)/3/356/114 भादवि थाना प्रदुमन नगर जिला राजकोट शहर (गुजरात)।
19-मु0अ0स0-115/2019 धारा 379(ए)/3/114 भादवि फतेहगंज शहर जिला बडौदा (गुजरात)।
20-मु0अ0स0-121/2019 धारा 379(ए)/3/114 भादवि फतेहगंज शहर जिला बडौदा (गुजरात)।
21-मु0अ0स0-417/2019 धारा 379 भादवि थाना हिसार सिटी (हरियाणा)।
22-मु0अ0स0-260/2019 धारा 392/411 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
23-मु0अ0स0 -22/2020 धारा 379 भादवि थाना समर्थ जिला पुणे (महाराष्ट)।
24-मु0अ0स0-51/2020 धारा 379 भादवि थाना पिपरी जिला पुणे (महाराष्ट)।
25-मु0अ0स0- 55/2020 धारा 379 भादवि थाना पिपरी जिला पुणे (महाराष्ट)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1-उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2-का0 1666 पंकज कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3-का0-2044 सचिन कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4-का0-1557 गोरव कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

.प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मोनेटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश देवबन्द सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 6 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः–

अवगत कराना है कि दिनांक 08.04.17 को वादी श्री सुनील पुत्र कुरडी नि0 खुडाना थाना नानौता सहारनपुर, की तहरीर पर अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घेर से 03 भैसें चोरी करना व जान से मारने की नियत से फायर देने की सूचना पर मु0अ0स0 61/17 धारा 457,380,307 भादवि में थाना नानौता पर पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में विवेचना दौरान अभियुक्त गुड्डू पुत्र राजकिशोंर निवासी कस्बा व थाना आसोधर जनपद फतेहपुर से चोरी गयी भैसें की बरामदगी के बाद उपरोक्त अभियोग में धारा 457,380,307,411 भादवि में एसटी नं0 528/2017 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश देवबन्द स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश देवबन्द स0पुर द्वारा दिनांक 02.09.2020 को माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश देवबन्द स0पुर द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र राजकिशोर निवासी कस्बा व थाना आसोधर जनपद फतेहपुर को उक्त अपराधों का दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>सहारनपुर पुलिस</u>

<u>जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही से घबराये 03 गैंगेस्टर, थाना चिलकाना पर किया आत्मसमर्पणः-</u>

अवगत कराना है कि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वाछिंत अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनाक 03.09.202 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा **<u>मु0अ0सं0 475/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट</u>** में वाछिंत व नामित अभि0गण 1-अरसद उर्फ छोटा पुत्र नानू निवासी ग्राम बुडढाखेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर 2- सलमान पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बुडढाखेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर 3- बुरहान पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम बुडढाखेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर द्वारा खुद थाना चिलकाना पर आकर स्वंय आत्मसमर्पण किया है। उपरोक्त अभियुक्तगणो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-</u>

1-अरसद उर्फ छोटा पुत्र नानू निवासी ग्राम बुडढाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

2- सलमान पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बुडढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3-बुरहान पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम बुडढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

<u>अपराधिक विवरण:-</u>

1-मु0अ0सं0 475/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना स0पुर।

2- मु0अ0सं0172/20धारा307/420/465/414/147/148/149भा0द0वि0थाना चिलकाना स0पुर।

3-मु0अ0सं0 174/20 धारा 3/5क/8सीएस. एक्ट थाना चिलकाना स0पुर।

4-मु0अ0सं0 199/20 धारा 307/147/148/149 भा0द0वि0 थाना चिलकाना स0पुर।